श्रावण के तीसरे सोमवार को लाखों श्रद्धालु उमड़े महाकाल में

नवभारत न्यूज

उज्जैन. श्रावण मास के तीसरे सोमवार पर उज्जैन के ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए उमड़े. मंदिर समिति के अधिकारियों ने बताया कि दोपहर 1 बजे तक 3 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके थे. दर्शन का सिलसिला रात को शयन आरती में पट बंद होने तक निरंतर जारी रहा.

सोमवार को विनायक चतुर्थी होने के कारण भगवान महाकाल का सुबह की भस्मारती में गणेश स्वरूप में पुजारियों ने श्रृंगार किया. बड़ी आस्था के साथ श्रद्धालुओं ने लंबी लाइन में लगकर पैदल चलते हुए दर्शन किए. सुबह से रिमझिम बारिश का दौर भी जारी रहा. श्रद्धालु बारिश में भिगते हुए भी दर्शन से पीछे नहीं हटे.

विनायक चतुर्थी पर भस्मारती में गणेश रूप में श्रृंगार

कलेक्टर व मंदिर प्रशासक कंट्रोलरूम से नजर रखे रहे

श्रावण के तीसरे सोमवार को लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए कलेक्टर रोशन सिंह खुद मंदिर समिति के प्रशासक प्रथम कौशिक व अन्य अधिकारियों के साथ महाकाल मंदिर के कंट्रोल रूम में मौजूद रहकर क्राउड मैनजेमेंट करते देखे गए.

फिल्म अभिनेत्री रूपाली गांगुली पहुंची दर्शन करने

श्रावण सोमवार पर फिल्म और टीवी एक्ट्रेस रूपाली गांगुली भी उज्जैन पहुंचीं. उन्होंने मंदिर के नंदी हॉल में बैठकर बाबा महाकाल के दर्शन किए. पुजारियों ने उन्हें प्रसाद दिया.

उज्जैन में चारों तरफ भीड़, लोगों को आई परेशानी

उज्जैन में इतनी भीड़ उमड़ी कि पुराने शहर की सड़के लोगों से पटी नजर आई. चारों तरफ भीड़ ही भीड़ थी. मंदिर में प्रवेश गेट के बाहर लंबी लाइन थी तो पंडे-पुजारियों तक को अंदर जाने में दिक्कत आई. मंदिर के पास बनी महाराजवाड़ा में मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा बनाई गई प्रदेश की सबसे महंगी हेरिटेज होटल में ठहरे यात्रियों को भी आने-जाने में दिक्कत आई. वहीं क्षेत्र में बनी होटलें, गेस्ट हाउस और धर्मशालाओं में ठहरे यात्री को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. मंदिर क्षेत्र के सारे पहुंच मार्ग दोपहर में ही बेरिकेड्स से बंद कर दिए गए थे. करीब 17 करोड़ रुपए की लागत से बनी होटल क्या काम की जहां सुलभता के साथ यात्री ही नहीं पहुंच पाए. इस मामले में महाकाल मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक का कहना है कि श्रावण में भीड़ बढ़ने और मंगलवार को नाग पंचमी का पर्व होने के कारण थोड़ी परेशानी आई. लेकिन पार्किंग स्थल से ई-कार्ट की व्यवस्था कर हेरिटेज होटल में पर्यटकों व श्रद्धालुओं को लाने-ले जाने की व्यवस्था की जा रही है.

शिव तांडव रूप में निकले महाकाल

सवारी देखने उज्जैन में लाखों लोग उमड़े, रामघाट पर आर्मी बैंड व कलाकारों ने दी प्रस्तुति

उज्जैन. श्रावण मास के तीसरे सोमवार को उज्जैन में महाकाल की सवारी को देखने के लिए देशभर से लाखों की संख्या में लोग यहां उमड़े. तीसरी सवारी में भगवान महाकाल ने गरुड़ के रथ पर शिव तांडव रूप में निकलकर भक्तों को दर्शन दिए. आगे चांदी की पालकी में श्री चंद्रमौलेश्वर विराजित थे तो पीछे हाथी पर मनमहेश सवार होकर निकले. मंदिर के सभामंडप में दोपहर 3 बजे चंद्रमौलेश्वर का पुजारियों ने पूजन-अर्चन किया. इसके पश्चात मुख्य द्वार पर बाबा को सलामी देकर नगर भ्रमण के लिए रवाना किया गया. सवारी में आगे भजन मंडलियां व नगर के बैंड धार्मिक प्रदर्शन करते निकले. इसके बाद सवारी के आगे तोपची, घुड़सवार दल, सशस्त्र पुलिस के जवान व पुलिस का बैंड निकला. शिप्रा के रामघाट पर आर्मी के बैंड व जनजातीय कलाकारों ने जोरदार प्रस्तुति दी.

इंदौर-उज्जैन में सक्रिय शातिर वाहन चोर गिरोह पकड़ा

- 13 बाइक समेत तीन आरोपी गिरफ्तार
- खण्डहरों में छिपाकर बेचते थे गाड़ियां

नव भारत न्यूज

इंदौर. शहर और उज्जैन में दोपहिया वाहनों की चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले शातिर वाहन चोर गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. बाणगंगा पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 10 लाख कीमत की 13 चोरी की बाइक और स्कूटी बरामद की हैं. आरोपी चोरी के वाहन सुनसान जगहों पर छिपाकर ऑर्डर मिलने पर उन्हें सस्ते दामों में बेचते थे.

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त रामस्नेही मिश्रा ने बताया कि एसीपी हीरानगर रुबीना मिजवानी के मार्गदर्शन में एक विशेष टीम गठित की गई थी. यह टीम लगातार क्षेत्र में गश्त और आसूचना संकलन कर रही थी. 25 जुलाई को पुलिस को सूचना मिली कि सांवेर रोड स्थित बीआईपीएस पेट्रोल पंप के पास दो संदिग्ध व्यक्ति चोरी की बाइक बेचने की फिराक में हैं. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने दीपमाला चौराहे पर दबिश दी और वहां खड़े एक व्यक्ति को पकड़ा, जिसके पास चार मोटरसाइकिल और एक स्कूटी संदिग्ध अवस्था में मिली. पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम निशार उर्फ नाशिर शाह उम्र 35 साल निवासी राउला, सांवेर रोड बताया और वाहनों के किसी भी दस्तावेज की उपलब्धता से इनकार किया.

गहराई से पूछताछ करने पर उसने इंदौर और उज्जैन में बाइक चोरी की वारदातें करना कबूल किया. नाशिर की निशानदेही पर गिरोह के अन्य दो सदस्यों गोलू उर्फ रोहित सांखला उम्र 28 साल निवासी बड़ोदिया खान, सांवेर और जसवंत उर्फ गब्बर उम्र 45 साल निवासी इमामबाड़ा, सांवेर को भी गिरफ्तार किया.

चेचिस नंबर में करते थे छेड़छाड़

पूछताछ में पता चला कि आरोपी वाहन चोरी के बाद उन्हें शहर के सुनसान इलाकों, खंडहरों और पुलों के नीचे छिपा देते थे. ग्राहक मिलने पर नंबर प्लेट और चेचिस नंबर में छेड़छाड़ कर वाहन बेच देते थे ताकि पकड़े न जाएं. अब तक इनसे बरामद 13 दोपहिया वाहनों में से कई पर इंदौर और उज्जैन के विभिन्न थानों में 4 एफआईआर दर्ज हैं. आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें पुलिस रिमांड पर लिया है, जहां उनसे और भी वारदातों के खुलासे की

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में नए जजों के नियुक्ति

नव भारत न्यूज

इंदौर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में 11 हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति के गई है. इसमें 5 अधिवक्ता और 2 न्यायिक अधिकारी जज बनाए गए है. वहीं 4 न्यायिक अधिकारियों को अतिरिक्त जज बनाया है.

उच्चतम न्यायालय और केंद्रीय विधि विभाग ने देश के तीन राज्यों में 19 जजों की नियुक्ति की है. मध्यप्रदेश में सबसे ज्यादा 11 जजों की नियुक्ति की गई है, जिसमें अधिवक्ता पुष्पेंद्र यादव, आनंद सिंह भेहरावत, अजय कुमार निरंकारी, जय कुमार पिल्लई और हिमांशु जोशी को हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया है. वही न्यायिक अधिकारी राम कुमार चौबे और राजेश कुमार गुप्ता को भी हाईकोर्ट जज बनाया गया है. इसके साथ ही आलोक अवस्थी, रत्नेश कुमार गुप्ता, भगवती प्रसाद शर्मा और प्रदीप मित्तल को अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है. तेलंगाना और असम में भी चार-चार हाईकोर्ट जज नियुक्त किए गए हैं.

सोने के बिस्किट के नाम पर 5 लाख ठगे

- 7 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे

धार. जिले के राजगढ़ क्षेत्र में सोने के बिस्किट दिलाने के नाम पर 5 लाख की ठगी का मामला सामने आया है. शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर पुलिस ने सात आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई की है.

मामले में एक आरोपी अब भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है.पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने मामले में तत्परता से कार्रवाई करने वाले पुलिसकर्मियों को इनाम देने की घोषणा की है. धोखाधड़ी की शिकायत अलीराजपुर निवासी पीयूष द्वारा की गई थी.फरियादी के अनुसार, झाबुआ, टांडा और अलीराजपुर के रहने वाले कुछ लोगों ने उसे झांसा दिया कि उनके पास गुजरात से मिला सोना है, जिसे बेचना है.पीयूष के साले आयुष को राजगढ़ के सोनगढ़ फाटे पर बुलाया गया, जहां सोने के बिस्किट सौंपने की बात कही गई.जब आयुष तय स्थान पर पहुंचा, तो आरोपियों ने उससे 5 लाख रुपये ले लिए और कहा कि थोड़ी देर में सोना लेकर आते हैं, लेकिन उसके बाद सभी मौके से फरार हो गए. पीयूष की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सात आरोपियों को पकड़ लिया.पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्हें पैसों की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने मिलकर यह योजना बनाई थी.

पुलिस ने सभी आरोपियों से 15-15 हजार रुपये बरामद किए हैं.मामले में शामिल आठवें आरोपी की तलाश जारी है.एसपी मनोज कुमार सिंह ने कहा कि पुलिस टीम ने सजगता और मुस्तैदी के साथ कार्रवाई की, जिसके लिए उन्हें इनाम दिया जाएगा.उन्होंने बताया कि मामले की तह तक जाकर ठगी करने वाले पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जाएगा.वहीं, आम जनता से अपील की है कि इस तरह के झांसे में न आएं और कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें।

संविदा-आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मियों ने किया जंगी प्रदर्शन

भोपाल, 28 जुलाई. राजधानी के शाहजहानी पार्क में सोमवार को संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले हजारों कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया.

कर्मचारियों ने आउटसोर्स प्रथा को समाप्त कर स्थायी नीति बनाए जाने और 21,000 न्यूनतम वेतन सहित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर नारेबाजी की. प्रदेश अध्यक्ष कोमल सिंह ने कहा कि प्रदेश के 30 हजार से अधिक कर्मचारी कई वर्षों से सरकारी अस्पतालों में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई ठोस नीति नहीं बनी. निजी एजेंसियां मनमर्जी से वेतन तय कर रही हैं और कई जिलों में 4-5 महीने से वेतन तक नहीं मिला.

संघ ने आरोप लगाया कि वेतन में हर माह करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है. कुशल श्रमिकों को भी सिर्फ 60-70 प्रतिशत वेतन दिया जा रहा है. वेतन न मिलने से परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं. यूपी की तर्ज पर नीति बनाकर आउटसोर्स प्रथा बंद की जाए, पूर्व संविदा कर्मियों को विभाग में समायोजित किया जाए. वर्तमान कर्मियों को तृतीय, चतुर्थ श्रेणी पदों पर नियमित किया जाए.

पटवारी ने किए भ्रष्टाचार के चार बड़े खुलासे

20 एफआईआर दर्ज होने के बावजूद जांच की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न

भोपाल, 28 जुलाई. कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को सीधे कटघरे में खड़ा करते हुए राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार पर गंभीर सवाल उठाए हैं

पटवारी ने एक्स पर पोस्ट कर भाजपा सरकार के कार्यकाल (दिसंबर 2023 से अब तक) में उजागर हुए चार प्रमुख घोटालों की सूची जारी करते हुए कहा है कि ये केवल चार सवाल नहीं, सरकारी भ्रष्टाचार के चार स्तंभ हैं.उन्होंने मुख्यमंत्री से इन मामलों पर स्पष्ट जवाब देने की मांग की है.

पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में सॉल्वर गैंग का खेल

कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा उजागर होने पर पटवारी ने सवाल उठाया कि अब तक सरकार ने दोषियों पर निर्णायक कार्रवाई क्यों नहीं की. उन्होंने बताया कि सॉल्वर गैंग ने बायोमेट्रिक हेराफेरी, फर्जी फोटो और दस्तावेजों के जरिए सैंकड़ों फर्जी परीक्षार्थियों को भर्ती दिलवाई. 20 से अधिक एफआईआर दर्ज होने के बावजूद जांच की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न है.

सांप काटने से फर्जी मौतें और मुआवजा घोटाला

सिवनी जिले में एक ही व्यक्ति को 38 बार मृत दिखाकर सांप के काटने से मौत का फर्जी मुआवजा निकाला गया.पटवारी के अनुसार, कुल 47 लोगों के नाम बार-बार मृतक के रूप में दिखाकर प्रति केस ?4 लाख के हिसाब से लगभग 11 करोड़ का घोटाला हुआ.यह मामला भी जांच की मांग कर रहा है. फिलहाल मुख्यमंत्री या राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.

30,000 करोड़ की रकम पर सवाल...

पटवारी ने लिखा है कि जल जीवन मिशन में राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसकी अनुमानित रकम 30,000 करोड़ है.इस घोटाले में मंत्री संपतिया उइके पर 1,000 करोड़ की रिश्वत लेने, फर्जी भुगतान और फर्जी प्रमाण-पत्र जारी करने के गंभीर आरोप लगे हैं.उन्होंने आरोप लगाया कि मामले में कोई पारदर्शी कार्रवाई नहीं हो रही.

➡कांस्टेबल से अरबपति बनने का मामला, 500 करोड़ की संपत्ति बरामद

पटवारी ने दावा किया कि परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ के यहां छापे में 52 किलो सोना और 500 करोड़ की बेनामी संपत्ति जब्त हुई.एक डायरी से 1,300 करोड़ की उगाही और रिश्वतखोरी के विस्तृत रिकॉर्ड मिलने का भी जिक्र किया गया.उन्होंने आरोप लगाया कि इतनी बड़ी बरामदगी के बावजूद सरकार चुप्पी साधे हुए है.

खतरनाक निर्माणों पर अब चलेगा बुलडोजर

भोपाल, 28 जुलाई. मध्य प्रदेश के चार प्रमुख शहरों—भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में हाई वोल्टेज बिजली लाइनों के नीचे 2,388 अवैध निर्माण चिन्हित किए गए हैं.

एमपी ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) ने इन निर्माणों को लोगों की जान के लिए खतरा और बिजली आपूर्ति में बाधा माना है.अब कंपनी स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर सख्त कार्रवाई की तैयारी में है. जबलपुर में 648 नोटिस, कार्रवाई की तैयारी, जबलपुर के पोलिपथर, न्यू शास्त्री नगर, अधारताल और जसुजा सिटी जैसे इलाकों में एक्स्ट्रा हाईटेंशन लाइनों के नीचे बड़ी संख्या में अतिक्रमण हैं.

एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अजय पाल सिंह चौहान ने बताया कि वर्ष 2022, 2023 और 2024 में 648 नोटिस दिए गए, लेकिन अवैध निर्माण जारी रहे.अब जिला प्रशासन के साथ संयुक्त कार्रवाई की योजना तैयार की जा रही है.राजधानी भोपाल में बैरागढ़-लालघाटी, आईटी पार्क, अमरावत खुर्द, करोंद, रतनपुरा, देवकीनगर और गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में भी अवैध निर्माण की भरमार है.यहां अब तक 848 नोटिस जारी हो चुके हैं।

इंदौर में 220 केवी इंदौर-जेटपुरा लाइन और कई 132 केवी ट्रांसमिशन लाइनों के आसपास अवैध निर्माण के चलते 892 नोटिस भेजे गए हैं.हाल ही में भोपाल और इंदौर में बिजली के झटके से कई लोगों की मौत हो चुकी है.वहीं जबलपुर में एक डंपर ट्रक हाई वोल्टेज लाइन से टकरा गया था, जिससे क्षेत्र में बिजली सप्लाई ठप हो गई थी.

SMFG Grihashakti
Nayi Asha. Naya Vishwas.

एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय: 503 और 504, 5वीं मंजिल, जी-ब्लॉक, इंसिग्निया बीकेसी, बीकेसी मेन रोड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई-400051
पंजीकृत कार्यालय: कॉमर्सोन आईटी पार्क, टॉवर बी, पहली मंजिल, नंबर 111, माउंट पूनमल्ली रोड, पोरुर, चेन्नई - 600116, टीएन

अचल संपत्ति के लिए कब्जे का नोटिस [(परिशिष्ट IV) नियम 8(1)]

जबकि नीचे हस्ताक्षरकर्ता **एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी** होने के नाते एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी [राष्ट्रीय आवास बैंक (आरबीआई के पूर्ण स्वामित्व में) के साथ विधिवत पंजीकृत] (जिसे आगे "एसएमएचएफसी" के रूप में संदर्भित किया गया है) वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत, और धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत नीचे उल्लिखित दिनांकित मांग नोटिस जारी किया है जिसमें आप उधारकताओं (नीचे उल्लिखित नाम) से उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से **60 दिनों** के भीतर उक्त नोटिस में उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज चुकाने के लिए कहा गया है। नीचे उल्लिखित उधारकताओं द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, नीचे उल्लिखित उधारकताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकताओं और आम जनता को एतद्वारा उक्त संपत्ति से लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से कोई भी लेन-देन **"एसएमएचएफसी"** के प्रभार के अधीन होगा, जो कि नीचे उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज के रूप में होगा।

स. क्रं.	उधारकर्ता (एस)/ गारंटर (एस) का नाम लैन	सुरक्षित संपत्तियों का विवरण (अचल संपत्ति)	डिमांड नोटिस दिनांक और राशि	कब्जा की तिथि
1	लैन:- 601739211373367 1. युवराज कुमार जैन 2. श्रीमती सुशीला जैन	भूखंड संख्या 13, मेट्री निकुंज कॉलोनी, पंवासा मक्सी रोड, तहसील एवं जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश 456001, प्रशासनिक क्षेत्रफल 167.07 वर्ग मीटर, पूर्व में कॉलोनी रोड, पश्चिम में खुली भूमि, उत्तर में भूखंड संख्या 14, दक्षिण में भूखंड संख्या 12 से घिरा हुआ।-	14.05.2025 24,36,119.74 (चौबीस लाख छत्तीस हजार एक सौ उन्नीस चौहत्तर पैसे) 10.05.2025 तक	26.07.2025
1	लैन:- 601607210297731 1.सोनू रायसिंह 2. अलका गेदीवान 3. अपना भोजनालय	भूखंड संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा, व्यपवर्तित भूमि का भाग, सर्वेक्षण संख्या 349, पैकी, क्षेत्रफल 0.006 हेक्टेयर या 600 वर्ग फुट। ग्राम नागदा, स्ट्रै नंबर 79/35, तहसील बदनावर, जिला धार, मध्य प्रदेश 454001 में स्थित। पूर्व में सरकारी भूमि, पश्चिम में सड़क, उत्तर में चौहान जी का भूखंड और विक्रेता की शेष भूमि, दक्षिण में निशा सांखला का भूखंड।-	14.05.2025 8,12,337.43 रुपये (आठ लाख बारह हजार तीन सौ सैंतीस और तिरतालीस पैसे) 10.05.2025 तक	26.07.2025

स्थान : उज्जैन, धार, मध्यप्रदेश
दिनांक : 26.07.2025

एसडी/-
प्राधिकृत अधिकारी,
एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्सः +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकताओं और सह- उधारकताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निदेशों के अनुसार एनपीए के रूप में वगीकृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	58149380	संपत्ति के बदले ऋण	09.07.2025	4,69,907.40/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नामः 1. मुकेश बालू 2. कृष्णा बाई

संपत्ति का पताः मकान संख्या 90 का वह पूरा टुकड़ा, कुल क्षेत्रफल 2340 वर्ग फुट, भूमि सर्वेक्षण संख्या 204 पर स्थित, ग्रामः अलसी, फोन नंबर। 06, तहसीलः नागदा, जिलाः उज्जैन, मध्य प्रदेश-456440, और सीमाः पूर्वः जगदीश, पश्चिमः मंगू, उत्तरः रोड, दक्षिणः श्री बालाजी रोड

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
2	64000214.	संपत्ति के बदले ऋण	16.07.2025	4,21,153.15/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नामः 1. मुकेश छोगालाल 2. संजू बाई

संपत्ति का पताः संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा पीएचएन-18 पर स्थित, 1200 वर्ग फीट, या 111.48 वर्ग मीटर (पूर्व-पश्चिमः 60' उत्तर-दक्षिणः 20'), सर्वेक्षण सं. 268/6, ग्राम अंतरे, ग्राम पंचायत अंतरे, तहसील एवं जिलाः धार, मध्य प्रदेश, और सीमाएँः पूर्वः मुख्य सड़क, पश्चिमः स्वयं-खाली भूमि, उत्तरः अशोक का मकान, दक्षिणः महेश का मकान

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
3	94028678	होम लोन	16.07.2025	4,21,884.19/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नामः 1. नवीन खारोल 2. सुगन बाई 3. गोपाल खारोल

संपत्ति का पताः सभी आवासीय मकान संख्या 71 का वह टुकड़ा और पार्सल, जिसका क्षेत्रफल 87.79 वर्ग मीटर या 945 वर्ग फीट है, जो पीएच संख्या 19, वार्ड संख्या 11, ग्राम आबादी खसरा संख्या पर स्थित है। 413, ग्राम कचोली, तहसील जीरन, जिला नीमच, मध्य प्रदेश, और उक्त संपत्ति इस प्रकार से घिरी हुई हैः पूर्वः महेंद्र का मकान, पश्चिमः आम रास्ता, उत्तरः अमरचंद का प्लॉट और महेंद्र का प्लॉट, दक्षिणः ओमप्रकाश खारोल का मकान, इसके साथ जुड़े अधिकार, स्वतंत्रता और अनुमोदन, वर्तमान और भविष्य, भवन, संरचनाएं, निर्माण और / या निर्माण और उसके बाद विकास और सभी संयंत्र और मशीनरी जो पृथ्वी से जुड़ी हैं या पृथ्वी से जुड़ी किसी भी चीज से स्थायी रूप से जुड़ी हैं, वर्तमान और भविष्य दोनों।

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड** के रूप में जाना जाता है) इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी

दिनांकः 29.07.2025
स्थानः मध्यप्रदेश

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशुतोष उपाध्याय द्वारा 6/54, फिरोज गांधी प्रेस काम्प्लेक्स, इंदौर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , फिरोज गांधी प्रेस कॉम्प्लेक्स इंदौर से मुद्रित. समूह संपादक क्रांति चतुर्वेदी*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन/फैक्स- 4096718 **RNI Reg. No.7390/60**